शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-19.10.24 थाना मदनापुर

थाना मदनापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें मे वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार वांछित अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री विश्वजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व मे गठित टीम के सदस्य उ0नि0 श्री मनोज कुमार मय फोर्स के थाना मदनापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/24 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र राममूर्ती निवासी ग्राम अकबरपुर तिरिया थाना मदनापुर जिला शाहजाहंपुर को आज दिनांक 19.10.24 को सूचना मुखबिरी के आधार पर "**कटरा – झपका दिवारपुर मोड** " से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13/10/24 को वादी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कुवरसेन निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना बरखेडा जिला पीलीभीत के प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र राममूर्ती निवासी अकबरपुर तिरिया थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री राजकुमारी उर्फ सरला से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए मारपीट करना,प्रताडित करना तथा दहेज की मांग पूरी ना होने पर दिनांक 12/10/24 को वादी की पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल की। दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 376/24 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम देवेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियोग मे फरार चल रहे अभियुक्त देवेन्द्र उपरोक्त को आज दिनांक 19/10/24 को थाना मदनापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर झपका दिलावरपुर मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

देवेन्द्र पुत्र राममूर्ती निवासी अकबरपुर तिरिया थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 376/24 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 मनोज कुमार थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर।
2. का0 रोनिश थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।